राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	287 / 2025	राजेन्द्र कुमार मीणा	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री के. पी राज सिंह देवडा
2.	321 / 2025	शिवराम कुमावत	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–2)	श्री गजेन्द्र चौहान
3.	334 / 2025	सतवीर कौर	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री वी एस भावला
4.	365 / 2025	मांगीलाल	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–4)	श्री अंकित चौधरी
5.	369 / 2025	निर्मला कुमारी मीणा	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर एवं अन्य	07.12.2024 (अनुलग्नक–4)	श्री बिंजा राम जाजडा
6.	370 / 2025	मोहम्मद कलिम	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री बिंजा राम जाजडा
7	371 / 2025	बसंती	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री बिंजा राम जाजडा
8.	372 / 2025	फिरोज खान	राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री बिंजा राम जाजडा

आदेश की दिनांक : 30.01.2025

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में अपने स्थानांतरण आदेश को भिन्न भिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण का तर्क है कि अपीलार्थीगण के स्थानांतरण से उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पडेगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्तागण के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थीगण के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

6. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 287/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)